न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00210 RAAJodhpur2019-92RTA223 Gordhanram Vs Surjaram etc

गोरधनराम पुत्र श्री खमुराम, जाति विश्नोई, निवासी- जाम्बा की ढाणी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. सुरजाराम पुत्र लालाराम उर्फ लालूराम
2. सोहनराम पुत्र श्री लालाराम
3. बीरबलराम पुत्र मंगलाराम
4. रूपाराम पुत्र मंगलाराम
5. अर्जुनराम पुत्र मंगलाराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- जाम्बा की ढाणी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा दिनांक 22 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 115/2017 सुरजाराम बनाम गोरधनराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्टूबर 2023

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 115/2018 अनवान सुरजाराम बनाम गोरधनराम इत्यादि के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

हि॰ 12.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 अगस्त 2019 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 692 रकबा 36 बीघा ग्राम जाम्बा की ढाणी तहसील बाप के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22 मई 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की साक्ष्य लिये बिना ही राजस्व लोक अदालत के केम्प में प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर किया गया है, जो विधि के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के जवाब प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा इससे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तमाम कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा नोटिस तामील

12.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करवाये बिना ही पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हुई। रेस्पोडेंट्स अपीलांट की अच्छी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे, तब अपीलार्थी ने बाप आकर पता किया तो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने की जानकारी हुई। तब दिनांक 19.08.2019 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल लेकर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर अथवा किसी अनुचित लाभ के लिए अपील प्रस्तुत नहीं की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मई 2018 (राजस्व मूल वाद संख्या 115/2018 अनवान सुरजाराम बनाम गोरधनराम इत्यादि) अपास्त किये जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से लोक अदालत की भावना से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विधिनुसार सहमति से पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में पक्षकारान् के हक-हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 227 के तहत किसी गलती

12.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

या अनियमितता के कारण डिक्री खारिज नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु विचाराधीन चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की सम्यक तामील करवाये बिना तथा पत्रावली को लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार अभियान-2018 केम्प अटल सेवा केन्द्र, जाम्बा में रखे जाने की सूचना पक्षकारान् को दिये बिना ही उनकी उपस्थिति दर्शाते हुए तथा प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निर्णित करवाने की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इसके विपरीत पक्षकारान् की उपस्थिति एवं सहमति बाबत

12.X.'23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर हस्ताक्षर अथवा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज/उल्लेख उपलब्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट/प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उनसे साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 115/2018 अनवान सुरजाराम बनाम गोरधनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मई 2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर